रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 1984/पौष 8, 1906

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 1984/PAUSA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

गृह मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1984

सा. का नि. 1290.——राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय में, संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबन्ध) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबन्ध) भर्ती नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
6	7	8	9
18-25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	(i) Middle class pass (ii) One year experience in library work in relation to shelving of books etc Desirable Nil	Not applicable	Two years

[F. No. ... /7 83 Admn-I]
... H. ... GOYAL, Under Secy

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली 1 दिसम्बर, 1984

सा. का. नि. 1319.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी नई दिल्ली (ज्येष्ठ आशुलिपिक-ज्येष्ठ श्रेणी) भर्ती नियम 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात —

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी नई दिल्ली (ज्येष्ठ आशुलिपिक-ज्येष्ठ श्रेणी) भर्ती संशोधन नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 आकाशवाणी नई दिल्ली (ज्येष्ठ आशुलिपिक-ज्येष्ठ श्रेणी) भर्ती नियम 1983 की अनुसूची में (1) स्तम्भ 1 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात –

"आशुलिपिक श्रेणी 1",

(2) स्तम्भ 2 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात –

"9"

(3) स्तम्भ 11 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात —

"ऐसा आशुलिपिक श्रेणी 2, जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

[सं 9/8/84—एस II बी(ए)]
पी. एस. टोकस, अवर सचिव

टिप्पण मूल नियम, अर्थात आकाशवाणी नई दिल्ली (ज्येष्ठ आशुलिपिक/ज्येष्ठ श्रेणी/भर्ती नियम, 1983 अधिसूचना सं. 9/21/82-एस-11 बी (ए) दिनांक 24 जनवरी, 1984 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और उसके पश्चात उक्त नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 9th December, 1984

G.S.R 1319.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio, New Delhi (Senior Stenographer-Senior Grade) Recruitment Rules 1983 namely —

1 (1) These rules may be called the All India Radio New Delhi (Senior Stenographer—Senior Grade) Recruitment (Amendment) Rules, 1984

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Schedule to the All India Radio New Delhi (Senior Stenographer—Senior Grade) Recruitment Rules 1983.—

(1) in column 1, for the entry, the following entry shall be substituted, namely —
"Stenographer Grade I"

(2) in column 2, for the entry, the following entry shall be substituted namely —
"9"

(3) in column 11, for the entry the following entry shall be substituted, namely —
"Stenographer Grade II with 5 years' regular service in the Grade"

[No 9/8/84-S II/B(A)]
P. S TOKAS Under Secy

NOTE—Principal Rules called the All India Radio New Delhi (Senior Stenographer—Senior Grade) Recruitment Rules, 1983 were notified vide Notification No. 9/21/82-S. II/B(A), dated the 24th January 1984 and no amendment has been made thereafter in the said Rules

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर 1984

सा०का०नि० 1320.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (समूह क और समूह ख पद) भर्ती नियम 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (समूह क और समूह ख पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (समूह क और समूह ख पद) भर्ती नियम, 1984 की अनुसूची में निदेशक